## *ग्राम पंचायत पेय जल स्वच्छता कमेटी (जी पी.डब्लू.एस.सी / वी.डब्लू.एस.सी.) का संविधान , कर्तव्य एवं अधिकार*

*ग्राम पंचायत / ग्राम* ......................*ब्लाक-* ...................... *जनपद आजमगढ़, उ.प्र.*

भारत के संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पेय जल के बिषय को ग्यारवी अनसूची में ला दिया है और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौप दी गई है।इसे ध्यान मे रखते हुए,"जे.जे.एम" के अंतर्गत पेयजल श्रोतो के साथ अंतःग्राम जल आपुर्ति प्रणाली की योजना कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एव रख-रखाव में ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय महत्वपुर्ण भुमिका निभाएंगें।इसके साथ हीं पंचायते, उपयुक्त स्थानीय कर संग्रह कर सकती है तथा इसका इस्तेमोल कर सकती हैं और उक्त प्रकार्यो को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान प्राप्त कर सकती हैं। ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात **वी.डब्लू.एस.सी(ग्राम पेय जल स्वच्छता कमेटी)/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समुह**, आदि संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पित विधिमान्य इकाई के रूप मे कार्य करेगी कि ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति गाँव मे जल आपुर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारियों को निभाएगी । जहाँ भी उप-समितियों अर्थात वी.डब्लू.एस.सी/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समुह, इत्यादि को चुना जाएगा, वहाँ उनकी **नेतृत्व सरपंच/उप-सरपंच/ग्राम पंचायत सदस्य/ पारंपरिक मुखिया/वरिष्ठ ग्राम नेता** कर सकते है, जिसका निर्णय ग्राम सभा ले सकती है। और सचिब के रूप मे कार्य **पंचायत सचिव/पटवारी/तलाती** द्वारा किया जा सकता है।इस समिति मे 10-15 सदस्य शामिल हो सकते हैं, जिसमें 25 % तक पंचायत के निर्वाचित सदस्य शामिल हों ; 50% महिला सदस्य हों (जो सफलता की कुंजी हैं); और शेष 25 % में गांव के कमजोर बर्ग(एस.सी./एस.टी) के प्रतिंनिधि, उनकी आवादी के अनुपात में शामिल हों। आमतौर पर, उप-समिति का कार्यकाल 2-3 साल का होगा और जल जीवन मिशन अवधि के दौरान ग्राम सभा को उप समिति का पुनर्गठन करने का अधिकार होगा। यदि उप-समिति अर्थात वी.डब्लू.एस.सी / पानी समिति / प्रयोक्ता समुह आदि में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल किन्ही कारणों से समाप्त हो गया हो तो डी.डब्लू.एस.एम.(डिस्ट्रिक वाटर एव सैनीटेशन मिशन) द्वारा उप-समिति की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी जब तक कि ग्राम पंचायत का पुनर्गठन नही हो जाता। इसी तरह ,जिन राज्यो में निर्वाचित ग्राम पंचायत मौजूद नही है, वहाँ उप-समिति, अर्थात वी.डब्लू.एस.सी/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समुह आदि का नेतृत्व पारंपरिक ग्राम नेताओं/वरिष्ठ ग्राम नेता द्वारा किया जा सकता है, जिसका निर्णय ग्राम परिषद ले सकती है।ग्राम पंचायत या उसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्लू.एस.सी/पानी समिति/प्रयोक्ता समुह, आदि के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य सरकार, उपयुक्त अधिसूचना जारी करेगी।

**ग्राम पंचायत और/या इसकी उप समिति , अर्थात वी.डब्लु.एस.सी/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह , आदि निम्न लिखित कार्यो का निर्वहन करेगीः**

1- हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में अस्तित्व में आने वाले किसी नये परिवार को एफ.एच.टी.सी प्राप्त हो।

2- जल आपुर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (VAP) की तैयारी सुनिश्चित करना।

3- गाँव के भीतर जल आपुर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव और मौसमी आपुर्ति का समय तय करना।

4- केन्द्रीकृत वस्तु दर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एस.डब्लू.एस.एम. द्वारा यथा निर्धारित एजेसिंयों/ विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं/ वस्तुओं / सामग्री का प्राप्त करना/ व्यवस्थित करना।

5- अतः ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत मे यथा स्थिति 5 % या 10% अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और / या वस्तु और / या श्रम के रूप में हो सकता है।

6- स्रोत स्थायित्व, गंदले जल के पुनः उपयोग, जल संरक्षण उपायों, आदि सहित अंतःग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

7- सामुदासिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख-रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना/ ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही-खाता बनाया जाए।

8- उन खातों के लिए रजिस्टर बनाए. और उसका रख-रखाव करें, जो भी नकदी और / या वस्तु और /श्रम के संदर्भ में सामुदायिक योगदान; निर्माण की लागत; प्रचालन एवं रख-रखाव लागत/ जल शुल्क संग्रह और प्रास प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों।

9- पी.आर.ए. गतिबिधियों के सिए समुदाय को एकजुट करना।

10- जल शुल्क/ प्रयोक्ता शुल्क निष्चित करना और एकत्र करना।

11-स्थानीय जल श्रोतो सहित अतःग्राम जल आपुर्ति प्रणाली के प्रबन्धन और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी लेना।

12-ग्राम पंचायत/ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।

13-योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।

14-एक बर्ष में कम से कम चार बार आवाधिक बैठके आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त/ रिकार्ड रखना।

15-फील्ड जांच किट (फिल्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना; प्रयोगशालाओं में समय-समय पर परीक्षण कराना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं/ छात्रों/ महिलाओं को नियोजित/प्रशिक्षित करना।

16-संबन्धित राज्य की निति के अनुसार फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

17-जल के विवेकपुर्ण उपयोग पर जागुरक्ता अभियान चलाना; पानी का कोई दुरूपयोग न करें, और सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना और दीवार पर चित्रकारी आदि करवाने सहित निर्धारित आई.ई.सी. (इन्फार्मेशन, एडुकेशन,कम्यूनिकेशन)अभियान चलाना।

18-पंप आपरेटर, जमीनी तकनिशियन को नियुक्त करना/ काम पर लेना, नियमित रूप से मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य करना और प्रणाली का संचालन करना।

| | | |
|---|---|---|
| हस्ताक्षर | M.P. Singh (Director) Sushma Foundation Varanasi(U.P) | हस्ताक्षर |
| सेक्रेटरी/सचिव | | प्रधान / अध्यक्ष |
| ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति | | ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति |
| ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी | | ग्राम पंचायत |
| ग्राम पंचायत | | प्रधान ग्राम पं सलेपुर बघॉई न्याय पं रायपुर तहसील जखनिया गाजीपुर |

## Resolution / (संकल्प प्रस्ताव)

ग्राम सभा सोनेपुर बघाई कलस्टर-23 ब्लाक शा.द.ट. जनपद ~~आजमगढ़~~ गाजीपुर उ०प्र०

आज दिनांक 16/7/22 को ग्राम सभा की खुली बैठक पेय जल स्वच्छता समिति की गठन के लिए आहुत की गई जिसमे ग्राम सभा के चुने हुए सभी सदस्यों, बी.डी.सी सदस्यों के साथ समस्त ग्राम वासी भी मौजूद है। सभी की गरिमामयी उपस्थिति में संविंधान के 73 वें संशोधन के ग्यारहवी अनुसूची के अनुरूप पेय जल स्वच्छता समिति के गठन की घोषणा की गयी तथा समिति में समस्त सदस्यों एव ग्राम बासियों के द्वारा समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों के बारे में चर्चा की गयी। उनके कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में ग्राम प्रधान श्री/श्रीमति नीलम यादव /जल जीवन मिशन आई०एस०ए० सुषमा फाउन्डेशन के सदस्यों के द्वारा बताया गया। यह भी अवगत कराया गया कि अध्यक्ष एवं सचिव की जिम्मेदारी समिति की समय-समय पर मीटिंग बुलाना, समिति के निर्णय पर ही पेय जल स्वच्छता के साथ-साथ ग्राम सभा में मौजूद जल श्रोतों का सरक्षण संवर्धन करना, दुषित जल के निकासी एवं उसके पुनः उपयोग की ब्यवस्था करना, वर्षा के जल का उचित प्रबंध कर उससे भूजल को रिचार्ज करना, एवं पेयजल स्वच्छता समिति का मानक के अनुरुप दो खाता खुलवाना जिसे अध्यक्ष एवं सचिव (संयुक्त रूप से) के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पेय जल की सुदृढ़ ब्यवस्था करने के लिए धन की ब्यवस्था के लिए अंशदान/प्रयोक्ता चार्ज निर्धारित मात्रा में ईकट्ठा करना तथा सम्बन्धित खातों में जमा करना, आय-ब्यय का रजिस्टर मेन्टेन रखना, अधिक धन की आवश्यक्ता होने पर प्रस्ताव बना कर जिला पेयजल स्वच्छता समिति के माध्यम से शासन से धन की मांग करना, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित आदेशों/निर्देशों का पालन करना कराना है।

इस पर समस्त चुने हुए प्रतिनिधि एवं ग्राम बासियों ने करतल ध्वनि से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया एवं ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति गठन करने के लिए सहमति प्रदान किया। सरकारी स्तर पर समन्वय बनाकर चलने तथा खाता आदि संचालन आय-ब्यय के रजिस्टर के रख-रखाव को देखते हुए ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव को ही अध्यक्ष एव सचिव बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा सर्व सम्मति से निम्न को अध्यक्ष, सचिव तथा मानक के अनुरुप सदस्यों का चुनाव किया गया:-

*पेय जल एव. स्वच्छता समिति -*

| क्र. सं. | नाम | पिता/पति का नाम | जाति | पद | मोबाईल नं० | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | श्रीमति नीलम यादव | बिरेन्द्र यादव | अहिर | प्रधान/ अध्यक्ष | 8470882668 | नीलम यादव |
| 2- | श्री | | | सेक्रेटरी/ सचिव | | |
| 3- | श्री बिजय कुमार | स्व रामधनी | चमार | सदस्य | 8957417478 | बिजय कुमार |
| 4- | श्री जितेन्द्र | स्व बिरजू | अहिर | सदस्य | 9918955867 | जितेन्द्र |
| 5- | श्री पीयूष | सुरेश राय | चमार | सदस्य | 9369185957 | पीयूष |
| 6- | श्रीमति मीरा देवी | अनधेशराय | ,, | सदस्य | 6386194946 | मीरा |
| 7- | श्री कैलाश | स्व शिवशंकर | चमार | सदस्य | 9795086493 | कैलाश |
| 8- | श्री बिरेन्द्र यादव | स्व बिरजू यादव | अहिर | सदस्य | 8470882668 | बिरेन्द्र |
| 9- | श्रीमति सरोज देवी | सत्यप्रकाश | चमार | सदस्य | 8418998166 | सरोज देवी |
| 10- | श्रीमति सविता देवी | संजय यादव | अहिर | सदस्य | 7678874873 | सविता |
| 11- | श्रीमति शीला | लालजी | चमार | सदस्य | 8052318081 | शीला |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12- | श्री सन्तोष यादव | सीताराम यादव | अहिर | सदस्य | 8601207562 | |
| 13- | श्री मिथुन | लोकनाथ | भर | सदस्य | 9918909602 | |
| 14- | श्री अवधेश कुमार | स्व मुनिपराम | चमार | सदस्य | 6386194496 | |
| 15- | श्री सुनिल यादव | विजय यादव | अहिर | सदस्य | 7565038146 | |

उपरोक्त प्रस्ताव को सभी ग्राम वासीयों तथा गांव के चुने गये प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि मत से पास किया।

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत अधिकारी
सेक्रटरी/ सचिव
ग्राम पंचायत............
ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति
ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

हस्ताक्षर
प्रधान / अध्यक्ष
ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति
ग्राम पंचायत
प्रधान
ग्राम पं सलेपुर लवाँई
न्याय पं रायपुर
तहसील मरदानिया गाजीपुर

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12- | श्री सन्तोष यादव | सीताराम यादव | अहिर | सदस्य | 8601207562 | |
| 13- | श्री मिथुन | लोकनाथ | भट | सदस्य | 9918909602 | |
| 14- | श्री अवधेश कुमार | स्व मुनिफराय | चमार | सदस्य | 6386194496 | |
| 15- | श्री सुनिल यादव | विजय यादव | अहिर | सदस्य | 7565038146 | |

उपरोक्त प्रस्ताव को सभी ग्राम वासीयों तथा गांव के चुने गये प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि मत से पास किया।

हस्ताक्षर
सेक्रेटरी/ सचिव..........
ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति
ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

(Stamp: ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत ..., विकास खण्ड ...)

(Stamp: M.P. Singh (Director) Sushma Foundation Varanasi (U.P.))

हस्ताक्षर
प्रधान / अध्यक्ष
ग्राम पेय जल स्वच्छता समिति
ग्राम पंचायत

(Stamp: प्रधान, ग्राम पं सलेपुर नवाँई, न्याय पं रायपुर, तहसील जखनिया। गाजीपुर)